

### शमन शुल्क की अनुसूची (नियम संख्या-4)

विभिन्न भू-उपयोगों हेतु शमन शुल्क की दरें

क. स.	निर्माण की प्रकृति	आवासीय	व्यवसायिक	कार्यालय	औद्योगिक	सुविधाएं/ अन्य
1	2	3	4	5	6	7
1.	अनुमन्य भू-आच्छादन एवं तल क्षेत्र अनुपात के अन्तर्गत बिना अनुमति निर्माण करने पर	1.1 100 वर्ग.मी. तक के भूखण्डों पर सभी प्रकृति के निर्माण हेतु रु. 10 प्रति वर्ग.मी. 1.2 101-300 वर्ग. मी. के भूखण्डों पर सभी प्रकृति के निर्माण हेतु रु. 15 प्रति वर्ग.मी. 1.3 301-500 वर्ग. मी. के भूखण्डों पर सभी प्रकृति के निर्माण हेतु रु. 20 प्रति वर्ग.मी. 1.4 501-2000 वर्ग. मी. के भूखण्डों पर सभी प्रकृति के निर्माण हेतु रु. 25 प्रति वर्ग.मी. 1.5 2000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल/ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों पर सभी प्रकृति के निर्माण हेतु रु. 25 प्रति वर्ग.मी. 1.6 अनुमन्य इकाइयों से अतिरिक्त शमनीय इकाइयों पर रु. 50,000 प्रति इकाई।	आवासीय का दो गुना तदैव तदैव तदैव तदैव -	आवासीय का 1.5 गुना तदैव तदैव तदैव तदैव -	आवासीय का 0.40 गुना तदैव तदैव तदैव तदैव -	आवासीय का 0.50 गुना तदैव तदैव तदैव तदैव -

2. अनुमन्य भू-आच्छादन के अन्तर्गत अतिरिक्त तल क्षेत्र (एफ.ए.आर.) पर	भूखण्डीय विकास एवं ग्रुप हाउसिंग-दोनो प्रकृति के निर्माण में रु. 200 प्रति वर्ग. मी. तथा अतिरिक्त तल क्षेत्र हेतु वांछित भूमि मूल्य का 50 प्रतिशत।	रु. 400 प्रति वर्ग. मी. तथा अतिरिक्त तल क्षेत्र हेतु वांछित भूमि मूल्य का 100 प्रतिशत	रु. 300 प्रति वर्ग. मी. तथा अतिरिक्त तल क्षेत्र हेतु वांछित भूमि मूल्य का 75 प्रतिशत	रु. 150 प्रति वर्ग. मी. तथा अतिरिक्त तल क्षेत्र हेतु वांछित भूमि मूल्य का 40 प्रतिशत	रु. 150 प्रति वर्ग. मी. तथा अतिरिक्त तल क्षेत्र हेतु वांछित भूमि मूल्य का 50 प्रतिशत
3. अनुमन्य भू-आच्छादन से अतिरिक्त भू-आच्छादन पर					
(क) ग्रुप हाउसिंग एवं अन्य बहुमंजिले भवनों में प्रत्येक दिशा में	भूमि मूल्य का 100 प्रतिशत	भूमि मूल्य का 200 प्रतिशत	भूमि मूल्य का 150 प्रतिशत	भूमि मूल्य का 40 प्रतिशत	भूमि मूल्य का 50 प्रतिशत
(ख) भूखण्डीय विकास					
(1) फ्रन्ट सेट बैक में	भूमि मूल्य का 100 प्रतिशत	भूमि मूल्य का 200 प्रतिशत	भूमि मूल्य का 150 प्रतिशत	भूमि मूल्य का 40 प्रतिशत	भूमि मूल्य का 50 प्रतिशत
(2) पार्श्व (साइड) सेट बैक में	भूमि मूल्य का 75 प्रतिशत	भूमि मूल्य का 150 प्रतिशत	भूमि मूल्य का 100 प्रतिशत	भूमि मूल्य का 40 प्रतिशत	भूमि मूल्य का 50 प्रतिशत
(3) पीछे के सेट बैक में	भूमि मूल्य का 50 प्रतिशत	भूमि मूल्य का 100 प्रतिशत	भूमि मूल्य का 75 प्रतिशत	भूमि मूल्य का 20 प्रतिशत	भूमि मूल्य का 25 प्रतिशत
4. अनुमन्य सीमा से अतिरिक्त बेसमेन्ट के निर्माण पर	भूमि मूल्य का 50 प्रतिशत	भूमि मूल्य का 100 प्रतिशत	भूमि मूल्य का 75 प्रतिशत	भूमि मूल्य का 20 प्रतिशत	भूमि मूल्य का 25 प्रतिशत

11. एक एकड़ से अधिक डप विभाजित भूखण्ड के अन्तर्गत सड़के, पार्क एवं खुले स्थल तथा अन्य सामुदायिक सुविधाओं हेतु नियमों के का भू-विभाजन जिसकी अनुसार वांछित क्षेत्रफल में की गयी कमी के समतुल्य भूमि मूल्य का दो-गुना शमन शुल्क लिया जायेगा। स्वीकृति नियमानुसार अनुमन्य न हो।
12. एक एकड़ से अधिक ऐसे प्रकरणों में शासन द्वारा जारी अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण की गाइडलाइन्स के अनुसार कार्यवाही की का भू-विभाजन जिसकी जायेगी। स्वीकृति नियमानुसार अनुमन्य न हो।

टिप्पणी :

- (1) उक्त प्रकृति के निर्माणों के अतिरिक्त अन्य अवैध निर्माण जो उपविधि अथवा निर्देशों के विपरीत हों अथवा जिसकी स्वीकृति न दी गई हो (यथा-पोर्च, बालकनी, छज्जे, आदि) परन्तु शमनीय हो, पर रु. 200/- प्रति वर्ग मीटर की दर से शमन शुल्क लिया जाएगा। व्यवसायिक हेतु इसकी दरें दोगुनी, कार्यालय हेतु 1.5 गुना, औद्योगिक हेतु 0.40 गुना, सुविधाएं एवं अन्य उपयोगों में 0.50 गुना होंगी।
- (2) महायोजना जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार 'सामान्यतः' एवं 'सशर्त अनुमन्य' क्रियाओं/उपयोगों के शमन हेतु नियमानुसार देय प्रभाव शुल्क के अतिरिक्त प्रभाव शुल्क का दस प्रतिशत शुल्क भी देय होगा।
- (3) चैरिटेबल संस्थाएं जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा-80 (जी) के अन्तर्गत छूट प्राप्त हो तथा सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा प्राविधानित सुविधाओं एवं सेवाओं और शिक्षण संस्थाओं हेतु शमन शुल्क की दर आवासीय दर की 50 प्रतिशत होगी।
- (4) भूखण्डीय विकास में तलों की संख्या परिवर्तित किये बिना भवन की ऊचाई अनुमन्य ऊचाई से 10 प्रतिशत तक अधिक होने की दशा में रु. 2500/- प्रति मीटर ऊचाई की दर से शमन शुल्क देय होगा।

-13-  
-14-

- (5) अनधिकृत निर्माण के शमन हेतु जो दरें भूमि मूल्य पर आधारित नहीं हैं, अर्थात् प्रति वर्ग मीटर के आधार पर निर्धारित हैं, को प्रत्येक वर्ष 'कास्ट इन्डेक्स' के आधार पर प्राधिकरण द्वारा अद्यावधिक किया जायेगा।

(राम निरंजन)  
अनु सचिव

5.	कमरे की आन्तरिक ऊँचाई न्यूनतम निर्धारित ऊँचाई से कम होने पर	कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 100 प्रति व. मी.	कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 200 प्रति व. मी.	कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 150 प्रति व. मी.	कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 50 प्रति व. मी.	कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 75 प्रति व. मी.
6.	कमरे की चौड़ाई न्यूनतम निर्धारित चौड़ाई से कम होने पर	कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 50 प्रति व. मी.	कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 100 प्रति व. मी.	कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 75 प्रति व. मी.	कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 20 प्रति व. मी.	कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 25 प्रति व. मी.
7.	कमरे का क्षेत्रफल विहित क्षेत्रफल से कम होने पर	कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 50 प्रति व. मी.	कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 100 प्रति व. मी.	कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 75 प्रति व. मी.	कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 20 प्रति व. मी.	कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 25 प्रति व. मी.
8.	कमरे में प्रकाश तथा संवातन की व्यवस्था विहित क्षेत्रफल से कम होने पर	कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 50 प्रति व. मी.	कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 100 प्रति व. मी.	कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 75 प्रति व. मी.	कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 20 प्रति व. मी.	कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 25 प्रति व. मी.
9.	कम्पाउण्ड वाल की ऊँचाई निर्धारित ऊँचाई से अधिक होने पर	रु. 50 प्रति रनिंग मीटर परन्तु न्यूनतम रु. 5,000/-	रु. 100 प्रति रनिंग मीटर परन्तु न्यूनतम रु. 10,000/-	रु. 150 प्रति रनिंग मीटर परन्तु न्यूनतम रु. 7,500/-	रु. 20 प्रति रनिंग मीटर परन्तु न्यूनतम रु. 1,000/-	रु. 25 प्रति रनिंग मीटर परन्तु न्यूनतम रु. 2,500/-
10.	बिना स्वीकृत भू-विभाजन/कार्य, जो भवन उपविधि के अनुरूप हो	विक्रय-योग्य क्षेत्रफल पर भूमि मूल्य का 1.0 प्रतिशत	विक्रय-योग्य क्षेत्रफल पर भूमि मूल्य का 2.0 प्रतिशत	विक्रय-योग्य क्षेत्रफल पर भूमि मूल्य का 1.5 प्रतिशत	विक्रय-योग्य क्षेत्रफल पर भूमि मूल्य का 0.40 प्रतिशत	विक्रय-योग्य क्षेत्रफल पर भूमि मूल्य का 0.50 प्रतिशत